(b)' if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Working Group in its report had expressed the view that the present fixed capital investment limit of small scale/ancillary units is inadequate for raising the technology level of small industries to meet the international requirements of quality and specifications. The Committee has recommended for certain industry-groups, a ceiling of Rs. 50 lakhs as capital investment. For ancillary sector, the Committee has recommended the raising of investment limit to Rs. 75 lakhs.

Shifting of TELCO plant

2192. SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the location of the plant of the Tata Engineering and Locomotive Company earlier proposed to be set up in Karnataka has since been shifted to Uttar Pradesh; and

(b) if so, what are the reasons for shifting the location of the said plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN"): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

तिनसुकिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां

2193. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के निर्वाचन आयोग को इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि तिनसुकिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई 122 मतदाता सूचियों में बहुत सारे लोगों के नाम शामिल नहीं किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या छूटे हुये नामों के मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए कोई निदेश दिये गये हैं; यदि नहीं, तो मतदाता सूचियों में मतदाताओं के छूटे हुये नामों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी हां । निर्वाचन आयोग को, तिनसुकिया से कुछ राजनैतिक दलों और कुछ संगठनों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ख) असम में निर्वाचक नामावलियों के सघन पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य में प्रगति हो रही है । सभी निर्वाचनक्षेत्रों की प्रारूप नामावलियां प्रकाशित की जा चुकी हैं । प्रारूप नामावलियों के प्रकाशन के पश्चात्, सभी पात्र निर्वाचकों को दावे और आक्षेप फाइल करने के लिए 25 दिन का समय दिया गया है । दावों और आक्षेपों का निपटारा एक कानूनी प्रक्रिया है और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर इनमें से केवल उन्हीं व्यक्तियों को नामावली में सम्मिलित कर सकते हैं जो विधि के अधीन ऐसे सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं । उन्हें निर्वाचन विधियों, नियमों और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, दावों और आक्षेपों को निपटाना होता है । निर्वाचन आयोग किसी नामावली में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाने या न किये जाने के लिए कोई निदेश जारी नहीं कर सकता । फिर भी, निर्वाचन आयोग असम में विद्यमान स्थिति को ध्यान रखते हुये दावे और आक्षेप फाइल करने के लिए नियत किये गये समय में वृद्धि करने के लिए सहमत हो गया है । ऐसा केवल उन व्यक्तियों को अवसर देने के लिए किया गया है जो पात्र तो हैं किन्तु अपने दावे फाइल नहीं कर सके हैं ।